



उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(उपेन्द्र कुमार)

संयुक्त शिक्षा निदेशक  
विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर

पू०स०मा - 6042-28

प्रतिलिपि निम्नालिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक तददिनांक

1. सचिव माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश अधिनियम लखनऊ ।
2. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
3. आयुक्त विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर ।
4. विद्यालय निरीक्षक सोनभद्र ।
5. निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. माँ वैष्णो माडर्न पब्लिक स्कूल ब्रह्मनगर रावर्टसगंज सोनभद्र ।
7. गार्ड फाईल ।

(उपेन्द्र कुमार)

संयुक्त शिक्षा निदेशक  
विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर